न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 35 / 2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोबताराम उर्फ मोमताराम पुत्र मुकनाराम 2. खेमाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी साईयो की ढाणी, होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।		1. मेघाराम पुत्र मुकनाराम 2. पुनमाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी साईयो की ढाणी, होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 3. तहसीलदार एवं उपपंजियक सिणधरी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विशनोई, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 3 के पैरोकार उप.। व शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 08.08.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा– साईयो की ढाणी पटवार हल्का होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 308 रकबा 9.9022 हेक्टेयर, खसरा नं. 464 क्षेत्रफल 6.8361 हैक्टेयर व मौजा डेलुओ की ढाणी के खेत खसरा नं. 79 रकबा 6.9979 हैक्टेयर के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 10.07.2023 को प्राथमिक स्तर पर स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाउण्ड्रीज मेट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिंणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:34 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा– साईयो की ढाणी पटवार हल्का होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 308 रकबा 9.9022 हेक्टेयर, खसरा

[illegible] हैक्टेयर व मौजा डेलुओ की ढाणी के खेत [illegible]
[illegible] पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया [illegible]

क्र.	खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	[illegible]	[illegible]
1	[illegible] उर्फ [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट सा. देह खातेदार।	साईयो की ढाणी	308	4.7974	बा. दो.	0.29	[illegible]
		डेलुओ की ढाणी	79	1.0193	बा.दो.	0.06	
		कुल	**2**	**5.8167**	**बा.दो**	**0.35**	
2	[illegible] पुत्र मुकनाराम जाति जाट सा. देह खातेदार।	साईयो की ढाणी	308	4.9915	बा.दो.	0.30	गुलाबी
			464	0.8819	बा.दो.	0.05	
		कुल	**2**	**5.8734**	**बा.दो.**	**0.35**	
3	[illegible] पुत्र मुकनाराम 1/2 हि. [illegible] पुत्र मुकनाराम 1/2 हि. जाति जाट सा. देह खातेदार।	साईयो की ढाणी	464	5.9542	बा.दो.	0.36	केसरीया
		डेलुओ की ढाणी	79	5.8653	बा.दो.	0.35	
		कुल	**2**	**11.8195**	**बा.दो.**	**0.71**	
4	राज. सरकार (रास्ता)	साईयो की ढाणी	308	0.1133	बा.दो.		लाल
		डेलुओ की ढाणी	79	0.1133	बा.दो.		
		कुल	**2**	**0.2266**	**बा.दो.**		

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड [illegible] विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिक्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature
Digitally sign[illegible]
Ashiya
Date: 2024[illegible]
Reason: S[illegible]